उपखण्ड अधिकारी .... न्यायालय .... तालेड़ा

हजारीलाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमा .... नं. 88-89 RTA .... सन् 06/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही.मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-5-22	आरसिल की रिपोर्ट होकर वाद-पत्र पेश हुआ वकील वादी उपस्थित वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण को जरिये समन तलबकर पत्रावली दिनांक 16-6-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16-6-22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण बावजूद तामील समन हाजिर नहीं आने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 21-7-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21-7-22	पत्रावली पेश हुई वादी के अधिवक्ता उप. वादी का साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किये वादी के अधिवक्ता को एक तरफा बहस सुनी गई वादी के अधिवक्ता ने वाद-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा (बूंदी)	

यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

41 / दावा / 2022
दायरा दिनांक 06.01.2021

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. हजारीलाल आ0 गणेशनाथ जाति बाबाजी निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. मोहनलाल आ0 गणेशनाथ जाति बाबाजी निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. काली पत्नी गणेशनाथ जाति बाबाजी निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

— प्रतिवादीगण

अर्न्तगत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट।

उपस्थित :— 1.श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट(वादी)।

—: निर्णय :— **दिनांक :— 21.07.2022**

वादी द्वारा वाद—पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा सं0 132 रकबा 1.06 हैक्ट0 वाके खेडलीदेवजी पटवार हल्का पापडी तहसील इन्द्रगढ में स्थित है जिसका सयुंक्त खातेदार टिनेन्ट वादी है तथा कब्जा काश्त चला आ रहा है सेटलमेन्ट सन् 1995 से 2015 के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी हजारीलाल का नाम़ राजस्व रिर्कोड में हवारा दर्ज कर दिया गया जो गलत है जबकि वादी का सभी दस्तावेजों आधारकार्ड,मतदाता पहचान—पत्र,इत्यादि में

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

हजारी आ0 गणेशनाथ आकत है जिसका ही

...स्तविक नाम हजारीलाल आत्मज गणेशनाथ दर्ज चला आ रहा है जबकि सेटलमेन्ट विभाग को इस प्रकार गलत नाम दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह विधिवत् रूप से अपना नाम सही करवाये।और अन्त में निवेदन किया गया कि खसरा संख्या 132 रकबा 1.06 हैक्ट0 वाके ग्राम खेडलीदेवजी तहसील इन्द्रगढ में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिर्कोड में वादी का नाम हवारा आ0 गणेशनाथ के स्थान पर हजारीलाल आ0 गणेशनाथ दर्ज कर सही किया जावे।

वादी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण बावजूद तामिल सम्मन अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में सवंत् 2075 से 2078 नकल जमाबन्दी भू0प्रबंध विभाग सन् 1995 से 2015 मिलान–क्षैत्रफल, सन् 1995 से 2015, जमाबन्दी संवत् 2038 से 2041, नामान्तकरण संख्या 75 सवंत् 2037 पेश की है एवं मौखिक साक्ष्य में स्वंय का शपथ–पत्र तथा निर्वाचन आयोग का पहचान–पत्र राशन कार्ड ,आधारकार्ड की छायाप्रतियां पेश की है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नकल जमाबन्दी संवत् 2037 एवं नामान्तकरण संख्या 75 दिनांक 04.07.1981 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का नाम हजारा आ0 गणेशनाथ राजस्व रिर्कोड में दर्ज है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में वादी का नाम हजारीलाल आ0 गणेशनाथ दर्ज है सेटलमेन्ट सन् 1995 से 2015 के दौरान वादी का नाम हजारा आ0 गणेशनाथ के स्थान पर सहवन से हवारा आ0 गणेशनाथ दर्ज कर दिया गया जो गल़त दर्ज किया गया जिसको शुद्व किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ को निर्देशित किया जाता है कि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा संख्या 132 रकबा 1.06 हैक्ट0 वाके ग्राम खेडलीदेवजी पटवार हल्का पापडी तहसील इन्द्रगढ में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिर्कोड में दर्ज वादी का नाम हवारा आ0 गणेशनाथ को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर हजारा उर्फ हजारीलाल आ0 गणेशनाथ दर्ज किया जाकर राजस्व रिर्कोड को दुरूस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

सेटलमेंट को रीपीट करना था किन्तु हजारीलाल के स्थान पर हवारा ...

नानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

डिक्री ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी................................ मुकाम..........................लाखेरी..................व इजलास........................श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)...

1.हजारीलाल आ0 गणेशनाथ जाति बाबाजी बनाम 1 राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार इन्द्रगढ बून्दी राज0। निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0। 2.मोहनलाल आ0 गणेशनाथ जाति बाबाजी नि0 डडवाडा तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

3.काली पत्नी गणेशनाथ जाति बाबाजी नि0 डडवाडा तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

मुकदमा नम्बर................................ 41/दावा/2022.......................................सन.................................... दावा बाबत 88,89 आर0 टी0 एक्ट..................................

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...हमरे.. ....व हाजिरी

1.श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट(वादी)एडवोकेट.. ।मिनजानिब मुद्दइ.. ....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ को निर्देशित किया जाता है कि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा संख्या 132 रकबा 1.06 हैक्ट0 वाके ग्राम खेडलीदेवजी पटवार हल्का पापडी तहसील इन्द्रगढ में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिर्कोड में दर्ज वादी का नाम हवारा आ0 गणेशनाथ को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर हजारा उर्फ हजारीलाल आ0 गणेशनाथ में दर्ज किया जाकर राजस्व रिर्कोड को दुरूस्त किया जावे।

....निज...मुबलिग..बाबत............... ....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....बाबत.............. तारीख से तारीख अदायगी तक ....फीसदी सालाना आज की सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **21...माह.........07..........** **सन...2022**.......................को जारी की गई।

मुहर **दस्तखत**

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)